न्यायालय– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया

मझौलिया – 492/2020

दिनांक–21/10/2020

मझौलिया थाना कांड संख्या – 492/2020 के अन्तर्गत दिनांक 14/07/2020 से काराबंदी अभियुक्त मनिराज साहनी की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद आबू अरसद की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं । उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया हैं। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया हैं। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा0 को प्रदान की गयी ।

विद्वान जिला अभियोजन पदा0 श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक के दस्तावेजी जमीन जिसका खाता सं0 126 खेसरा 16 रकवा 10 धूर जो कि जो कि शातिं पूर्वक दखल कब्जा में रह रहा है । दिनांक 12/07/2020 को शाम में करीब 04:00 बजे जब सूचक अपने बथानी पर थे तभी देखा कि मनिराज सहनी , मुकेश सहनी, कन्हैया सहनी, सुखाडी सहनी, मंजय कुमार , ध्रुप सहनी, दशरथ सहनी, गोविन्दा सहनी , संदेश सहनी, भागराशन कुमार , लक्षन सहनी एवं प्रभु सहनी सभी ने मिलकर जमीन को हडपने के नियत से हलवे हथियार से लैश होकर सूचक के खेत में धान की बीज का रोपा करने लगे तभी सूचक एवं सूचक की पत्नी रामवती देवी , लडका राजू सहनी, रमेश सहनी, भाई चोकट सहनी गये रोकथाम के लिए तभी मनिराम अपने पास रखे लोहे की राड से राजू के सर पर मारे जिससे खुन बहने लगा तभी मुकेश ने लाठी से राजू के बाये हाथ पर मारा जो लगते ही टूट गया । सुखाडी ने कुदाल से जान मारने के नियत से मारा सूचक की पत्नी के सर पर मारा जो लगते ही खुन बहने लगा । तभी हल्ला सुनकर सूचक का लडका हरिन्द्र सहनी पति राजू सहनी जो कि गर्भवती है तथा पहवाद सहनी जो बचाने के लिए दौडी तो संदेस ने जान मारने के नियत से टॉगे से हरिन्द्र के सर पर मारा जिससे बुरी तरह जख्मी हो गया । दीपलाल सहनी एवं मनिराज सहनी ने लाठी लिये हुये एवं हरिन्द्र को जान लेवा हमला कर दिया जिससे उसका अंगूठा टुट गया तभी मनिराज के आदेश पर ध्रुप एवं प्रेम ने सूचक की पत्नी का केश पकड कर जमीन पर पटक कर सूचक के पत्नी के पेट पर लात मारने लगे । सूचक की पत्नी का साडी, ब्लाउज फाड कर अर्धनग्न कर दिये एवं सूचक की पत्नी का सोने की मंगलसूत्र खीच लिये करीब 30,000/–रूपये का था और टैक्टर के टेलर का चक्का फाड दिये एवं लेदी कटा मशीन तोड दिये एवं नांद तोड दिये करीब दो लाख की क्षतिग्रस्त कर दिये ।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। इस वाद में भा0 द0 वि0 की धारा 341, 323, 324, 325, 354, 379/34 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है, जिसमें भा0 द0 वि0 की धारा 354, 379/34 अजमानतीय है । आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन दिनांक 21/08/2020 पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27/08/2020 को खारिज किया गया था । आवेदक अभियुक्त पर सूचक ने लोहे की राड , कुदाल एवं लाठी से जान लेवा हमला करने, मारपीट, गाली गलौज, बुरी तरह जख्मी, सूचक की पत्नी को अर्धनग्न करने , सोने की मंगलसूत्र छीनने एवं घर के सामान को क्षतिग्रस्त पहुचाने का आरोप लगाया है । आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कों जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 19/10/2020 खारिज किया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी